प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक 190/2018

1. श्रीमती लक्ष्मी, पति रामभरोस, आयु लगभग 35 वर्ष, जाति बिंझवार,

2. कुमारी लकी, पिता रामभारोस, आयु लगभग 3 वर्ष, द्वारा नैसर्गिक संरक्षक माता श्रीमती लक्ष्मी पति रामभरोस, आयु लगभग 35 वर्ष,

दोनों का निवास सब्जी मंडी के पीछे, वार्ड क्रमांक 22, जंजगीर, जिला जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़, वर्तमान निवास द्वारा रामस्वरूप, ग्राम बालपुर, पुलिस थाना चांपा, जिला जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़।

---- आवेदकगण

बनाम

रामभरोस, पिता सुंदर लाल, आयु लगभग 40 वर्ष, जाति बिंझवार, सब्जी मंडी के पीछे निवासी, वार्ड क्रमांक 22, जांजगीर, जिला जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़, वर्तमान निवास महंतपारा शिवरीनारायण, पुलिस थाना शिवरीनारायण, जिला जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़।

--- उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवेदकों हेतु : श्री एफ. एस. खरे, अधिवक्ता

उत्तरवादी हेतु : श्री विवेक सिंघल, अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद सिंह चंदेल

बोर्ड पर आदेश

25.7.2018

1. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता की सहमति से प्रकरण की अंतिम सुनवाई की जाती है।

2. यह वर्तमान पुनरीक्षण परिवार न्यायालय, जांजगीर, जिला जांजगीर–चांपा द्वारा एम.सी.आर.सी. क्रमांक 11/2017 में पारित दिनांक 27.11.2017 के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसके

अधीन परिवार न्यायालय ने दं.प्र.सं. की धारा 125 के अधीन आवेदक क्रमांक 1 को भरण–पोषण प्रदान करने के संबंध में आवेदन को खारिज कर दिया है तथा केवल आवेदक क्रमांक 2/उत्तरवादी की अप्राप्तवय पुत्री के पक्ष में भरण–पोषण प्रदान किया है।

3. दोनों आवेदकों ने भरण–पोषण के लिए धारा 125 के अधीन आवेदन दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह भी कहा गया कि आवेदक क्रमांक 1 का विवाह उत्तरवादी के साथ 15–16 वर्ष पूर्व हुआ था। विवाह के कुछ दिनों बाद ही उत्तरवादी ने आवेदक क्रमांक 1/पत्नी के साथ क्रूरता और उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। उनके विवाह से आवेदक क्रमांक 2 का जन्म हुआ, लेकिन उसके बावजूद क्रूरता और उत्पीड़न जारी रहा। इसके बाद दिनांक 6.12.2016 को उत्तरवादी ने आवेदकों को अपने घर से निकाल दिया। उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है और उत्तरवादी उनका भरण–पोषण करने में सक्षम है। अपने उत्तर में उत्तरवादी ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि आवेदक क्रमांक 1 और आवेदक क्रमांक 2 क्रमशः उसकी पत्नी और पुत्री हैं। उसने अपने विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया और अभिवाक प्रस्तुत किया कि आवेदक क्रमांक 1/पत्नी ने स्वयं उसे पीटा और घर से निकाल दिया। जब भी वह घर लौटता, वह उसे घर में घुसने नहीं देती। उसने उसका गुपचुप का ठेला छीन लिया है और अब वह सिर्फ़ मज़दूरी करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. साक्ष्य दर्ज करने के बाद, परिवार न्यायालय ने, आक्षेपित आदेश के अधीन, आवेदक क्रमांक 1/पत्नी के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि वह बिना किसी उचित कारण के उत्तरवादी/पति से अलग रह रही है और आवेदक क्रमांक 2 के पक्ष में केवल 1,000/– रुपये का मासिक भरण–पोषण प्रदान किया है। इसलिए, आवेदकों द्वारा यह पुनरीक्षण दायर की गई है।

5. आवेदकों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि यद्यपि आवेदक क्रमांक 1/पत्नी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि वह अपनी इच्छा से उत्तरवादी/पति से अलग रह रही है, लेकिन वह उसके बुरे व्यवहार और उत्पीड़न के कारण उससे अलग रह रही है। अपनी मुख्य परीक्षा में उसने स्पष्ट रूप से उत्तरवादी/पति के उत्पीड़न के बारे में कहा है जिसका उसके द्वारा खंडन नहीं किया गया। इसलिए, परिवार न्यायालय को यह स्वीकार करना चाहिए था कि आवेदक क्रमांक 1/पत्नी के उत्तरवादी/पति से अलग रहने का उचित कारण है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने **एआईआर 2015 एससी 554 (सुनीता कछवाहा बनाम अनिल कछवाहा) और जेटी 2002 (3) एससी 409 (लक्ष्मी बाई पटेल बनाम श्याम कुमार पटेल)** का अवलंब लिया। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक क्रमांक 2 के पक्ष में दिया गया भरण–पोषण भत्ता कम है और इसे उचित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए।

6. उत्तरवादी की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक क्रमांक 1/पत्नी ने स्वयं स्वीकार किया है कि वह उत्तरवादी/पति के साथ नहीं रहना चाहती है और अपनी मर्जी से उससे अलग रह रही है। इसलिए, परिवार न्यायालय ने आवेदक क्रमांक 1/पत्नी के आवेदन को सही तरीके से खारिज कर

दिया है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तरवादी की वित्तीय स्थिति को देखते हुए, आवेदक क्रमांक 2 के पक्ष में भरण–पोषण का अनुदान न्यायोचित और उचित है।

7. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है।

8. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 की उपधारा (4) इस प्रकार है:

> "125. पत्नी, संतान और माता–पिता के भरणपोषण के लिए आदेश।—
>
> XXX XXX XXX
>
> (4) कोई पत्नी अपने पति से इस आधार के अधीन यथास्थिति, भरणपोषण या अंतरिम भरणपोषण के लिए भत्ता और कार्यवाही के व्यय प्राप्त करने की हकदार न होगी, यदि वह जारता की दशा में रह रही है अथवा यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है अथवा यदि वे पारस्परिक सम्मति से पृथक् रह रहे हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. लक्ष्मीबाई पटेल प्रकरण (पूर्वोक्त) में, यह इस प्रकार देखा गया है:

> "6. इसलिए, विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रकरण अपवादस्वरूप था, जिसमें विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश, जिसकी पुष्टि विद्वान चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पुनरीक्षण में की थी, को स्वीकार करने से न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और न्याय की विफलता होगी। दूसरे शब्दों में, क्या पत्नी द्वारा दिए गए कथन कि वह स्वेच्छा से ससुराल से चली गई थी और वह कृषि कार्यों से प्रतिदिन 50 रुपये कमा रही थी, उसे अपने पति से भरण–पोषण प्राप्त करने से वंचित करता है? हमारा विचार है कि बिना किसी अतिरिक्त बात के ऐसे कथन पत्नी को उसके पति से भरण–पोषण प्राप्त करने से वंचित करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। यह ध्यान में रखना चाहिए कि पति की जिम्मेदारी है कि वह अपनी पत्नी का भरण–पोषण करे और पत्नी को भरण–पोषण का दावा करने का अधिकार है, जब तक वह विवश होकर ससुराल से दूर रहती है। धारा 125 दं.प्र.सं. के अधीन भरण–पोषण का दावा करने का पत्नी का अधिकार केवल उक्त धारा की उपधारा (4) के अधीन प्रदान की गई परिस्थितियों में ही अस्वीकार किया जा सकता है। प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर जैसा कि नीचे के न्यायालयों ने पाया है, उक्त उपधारा लागू नहीं होती है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा पत्नी को 250 रुपये प्रति माह भरण–पोषण देने के आदेश को उलटने में स्पष्ट रूप से त्रुटि की थी, जिसे चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पुनरीक्षण में पुष्टि की गई थी।

परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है, विविध दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 2472/1999 में उच्च न्यायालय के दिनांक 2.8.2000 के आदेश को अपास्त किया जाता है और विविध दाण्डिक प्रकरण में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर द्वारा दिनांक 27.1.1998 को पारित आदेश को अपास्त किया जाता है। आपराधिक प्रकरण क्रमांक 188/1997, जिसे दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक 42/1998 में चतुर्थ अपर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जबलपुर के दिनांक 19.2.1999 के आदेश द्वारा पुष्ट किया गया था, को पुनःस्थापित किया जाता है।"

10. उपरोक्त के आलोक में, इस प्रकरण में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की जांच करने पर, मैं पाता हूं कि यद्यपि आवेदक क्रमांक 1/पत्नी ने यह तथ्य स्वीकार किया है और कहा है कि वह उत्तरवादी/पति के साथ नहीं रहना चाहती है और उसने स्वयं उत्तरवादी को छोड़ दिया है, उसने स्वयं इसके पीछे कारण यह बताया है कि उत्तरवादी/पति का आचरण उसके साथ ठीक नहीं था। अपनी मुख्य परीक्षा में भी, पैरा3 और 4 में, उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि विवाह के तुरंत बाद, वह उत्तरवादी/पति और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा क्रूरता और उत्पीड़न का शिकार हुई और दिनांक 6.12.2016 को उत्तरवादी ने उन्हें अपने घर से निकाल दिया। आवेदक क्रमांक 1/पत्नी के उपरोक्त कथन का उसके प्रतिपरीक्षण के दौरान खंडन नहीं किया गया है। इसलिए, भले ही उसने यह स्वीकार किया हो कि वह अपनी इच्छा से उत्तरवादी से अलग रह रही है और वह उसके साथ नहीं रहना चाहती, इसके पीछे कारण उत्तरवादी द्वारा उसके साथ किया गया दुर्व्यवहार और उत्पीडन है और यह इस प्रकार स्थापित होता है। इसलिए, आवेदक क्रमांक 1/पत्नी के पास उत्तरवादी/पति से अलग रहने के लिए पर्याप्त कारण हैं। इन परिस्थितियों में, परिवार न्यायालय का यह निष्कर्ष कि आवेदक क्रमांक 1/पत्नी अपनी इच्छा से उत्तरवादी से अलग रह रही है, स्वीकार्य नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. चूंकि आवेदक क्रमांक 1 उत्तरवादी की पत्नी है और पर्याप्त कारण से उससे अलग रह रही है और अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ है और जैसा कि परिवार न्यायालय ने पाया है, उत्तरवादी/पति के पास आवेदकों का भरण–पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन हैं, इसलिए आवेदक क्रमांक 1/पत्नी उत्तरवादी/पति से भरण–पोषण पाने की भी हकदार है। पक्षकारों की सामाजिक स्थिति और उत्तरवादी की वित्तीय स्थिति को देखते हुए, आवेदक क्रमांक 1/पत्नी को आज से देय 2,000/– रुपये का मासिक भरण–पोषण प्रदान किया जाता है। आवेदक क्रमांक 2/अप्राप्तपय पुत्री के पक्ष में 1,000/– रुपये प्रति माह भरण–पोषण प्रदान किया जाना न्यायोचित और उचित है।

12. परिणामस्वरूप,यह दाण्डिक पुनरीक्षण ऊपर बताई गई सीमा तक स्वीकार की जाती है।

सही/–

(अरविंद सिंह चंदेल)
न्यायाधीश

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur